

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/261

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
III-128 प्रार्थना पत्र	164/24 164/24	23/05/24	10/6/24 D.M.E	

अनवान

श्री रामपाल पुत्र नन्द तेजी

श्री राजस्थान सरकार जरीमे तहसीलदार

निवासी उन्दो का खेडा

निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेष्पोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री सोमप्रकाश पालीवाल

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

रामपाल

वनाम

राजस्थान सरकार जरीमे तहसीलदार

किरम मुकदमा - 111-128

नम्बर 164 / 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23/05 / 2024	<p>प्रार्थना पत्र सीगे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलवी/जवाब दिनांक 06/06/2024 को पेश हों।</p>	
6/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 06/06/24 को वास्तु-भा पेश हो।</p>	<p>उपखण्ड/अधिकारी बिजौलियां तामील प्राप्त।</p>
14/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षी उपस्थित। विपक्षीगण बाद तामील अनुपस्थित। पत्रावली में शारेफा पारित मिल गए एवं तहसीलदार बिजौलिया के पत्रावली तहरीर जारी की गई। पत्रावली नम्बर से कम तहरीर दाखिल देकर हों।</p>	<p>उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा</p>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 164/24

तारीख दायर 23/05/24

- 1-रामपाल पुत्र नन्दु जाति तेली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा हाल निवास श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 2 रामपाली पुत्री नन्दु जाति तेली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा हाल निवास श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 3 ललीता देवी पुत्री नन्दु जाति तेली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा हाल निवास श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 4 संतरा बाई पुत्री नन्दु जाति तेली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा हाल निवास श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 5 सीता देवी पुत्री नन्दु जाति तेली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा हाल निवास श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.) -प्रार्थीगण

बनाम

भूमिधारी अधिकारी श्रीमान तहसीलदार महोदय बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.) -विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

:-आदेश:-

दिनांक 10/06/24

प्रार्थनापत्र रामपाल पुत्र नन्दु रामपाली पुत्री नन्दु ललीता देवी पुत्री नन्दु संतरा बाई पुत्री नन्दु सीता देवी पुत्री नन्दु ने जरिये अधिवक्ता **श्री दीपक मीणा एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि **भूमि मौजा ग्राम उन्द्रो का खेडा पटवार क्षैत्र माल का खेडा भू-अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)** में स्थित खाता संख्या 296 आराजी नंबर 458/4 रकबा 0.2590 हैक्टेयर आराजी नंबर 458/5 रकबा 0.2833 हैक्टेयर आराजी नंबर 458/6 रकबा 0.3237 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.8660 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जाये साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद में शापथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र रजिस्टर करवाया गया है। प्रस्तुत पत्रावली पर विवाद अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 जमाबंदी 2077 का अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात का खातेदार /गेर खातेदार का तकार है। पडोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया भूमि मौजा ग्राम उन्द्रो का खेडा पटवार क्षेत्र माल का खेडा भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 296 आराजी नंबर 458/4 रकबा 0.2590 हैक्टेयर आराजी नंबर 458/5 रकबा 0.2833 हैक्टेयर आराजी नंबर 458/6 रकबा 0.3237 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.8660 हैक्टेयर भूमि की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रूपये राजकोश मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे ।

प्रार्थनापत्र निर्णित हो कर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखाण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाडा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 164/24

तारीख दायर 23/05/24

प्रेषित:-

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 164/24 पत्थरगढी बाबत।

- 1-रामपाल पुत्र नन्दु जाति तेली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा हाल निवास श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 2 रामपाली पुत्री नन्दु जाति तेली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा हाल निवास श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 3 ललीता देवी पुत्री नन्दु जाति तेली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा हाल निवास श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 4 संतरा बाई पुत्री नन्दु जाति तेली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा हाल निवास श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 5 सीता देवी पुत्री नन्दु जाति तेली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा हाल निवास श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.) -प्रार्थीगण

बनाम

भूमिधारी अधिकारी श्रीमान तहसीलदार महोदय बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)
-विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि भूमि मौजा ग्राम उन्द्रो का खेडा पटवार क्षेत्र माल का खेडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.) में स्थित खाता संख्या 296 आराजी नंबर 458/4 रकबा 0.2590 हैक्टेयर आराजी नंबर 458/5 रकबा 0.2833 हैक्टेयर आराजी नंबर 458/6 रकबा 0.3237 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.8660 हैक्टेयर भूमिकी बशमलात पडोसीयान के पत्थरगढी कि जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाय़ा जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक श्यामपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार तय कि जाती है वक्त मौके पर प्रार्थीगण अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पडोसी एवं विपक्षीगणों को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
बिजौलियाँ